[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

FOREST DEPARTMENT

Notification

The 26th May, 2015

No. G.S.R. 5/Const./Art.309/2015.- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana State Forest Department, (Group C) Miscellaneous Section Service Rules, 1998, namely:-

1. These rules may be called the Haryana State Forest Department, (Group C) Miscellaneous Section Service (Amendment) Rules, 2015.

2. In the Haryana State Forest Department, (Group C) Miscellaneous Section Service Rules, 1998, in Appendix B, under column 1, 2, 3 and 4, for serial numbers 15 and 16 and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be substituted, namely :-

1	2	3	4
"15	Driver	(i) Matric; (ii) should have a light vehicle valid driving licence, at least three years old; (iii) should have passed the driving test, conducted by Haryana Staff Selection Commission; (iv) Hindi/Sanskrit up to Matric standard or higher education; (v) should not be colour blind;	**By promotion:-** (i) Matric; (ii) should have a light vehicle valid driving licence, at least three years old; (iii) should have passed the driving test, conducted by the department; (iv) Hindi/Sanskrit up to Matric standard or higher education; (v) should not be colour blind; (vi) three years experience as Tractor Driver/ Cleaner or Group D employee; (vii) should not be more than fifty years of age; **By transfer/deputation:-** (i) Matric; (ii) should have a light vehicle valid driving Licence, at least three years old; (iii) three years experience as light vehicle driver; (iv) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education; (v) should not be colour blind; (vi) if not already working on the post of Driver then should not be more than fifty years of age;
16	Tractor Driver	(i) Matric; (ii) should have valid tractor driving licence, at least three years old; (iii) should have passed the driving test, conducted by the Haryana Staff Selection Commission; (iv) should not be colour blind; (v) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education;	**By promotion:-** (i) Matric; (ii) should have a valid tractor driving licence, at least three years old ; (iii) three years experience as a Cleaner; (iv) should have passed the driving test, conducted by the department; (v) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education; (vi) should not be colour blind; (vii) should not be more than fifty years of age;

			By transfer/ deputation:- (i) Matric; (ii) should have a valid tractor driving licence, at least three years old; (iii) three years experience as Tractor Driver; (iv) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education; (v) should not be colour blind; (vi) if not already working on the post of Tractor Driver then should not be more than fifty years of age; ".

AMIT JHA,
Principal Secretary to Government Haryana,
Forest Department.

हरियाणा सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 मई, 2015

संख्या सा०का०नि० 5/संवि०/अनु० 309/2015.–भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य वन विभाग (ग्रुप ग) विविध अनुभाग सेवा नियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा राज्य वन विभाग (ग्रुप ग) विविध अनुभाग सेवा (संशोधन) नियम, 2015, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा राज्य वन विभाग (ग्रुप ग) विविध अनुभाग सेवा नियम, 1998 में, परिशिष्ट ख में, खाना 1, 2, 3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 15 तथा 16 और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

1	2	3	4
15	चालक	(i) मैट्रिक ; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का परिवहन वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए ; (iii) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए ; (iv) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत ; (v) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ;	पदोन्नति द्वारा– (i) मैट्रिक ; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का परिवहन वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए ; (iii) विभाग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए ; (iv) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत ; (v) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ; (vi) ट्रैक्टर चालक/कलीनर या ग्रुप घ कर्मचारी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ; (vii) पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए; **स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा** :– (i) मैट्रिक ; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का परिवहन वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए ; (iii) हल्का परिवहन वाहन चालक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ; (iv) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत ; (v) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ; (vi) यदि चालक के पद पर पहले से कार्यरत नहीं है, तो पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए;
16	ट्रैक्टर चालक	(i) मैट्रिक; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध ट्रैक्टर चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए ; (iii) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए ; (iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ;	पदोन्नति द्वारा – (i) मैट्रिक ; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध ट्रैक्टर चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए ; (iii) कलीनर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; (iv) विभाग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए ; (v) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत ; (vi) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ; (vii) पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए;

		(v) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;	स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा :-- (i) मैट्रिक ; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध ट्रैक्टर चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए ; (iii) ट्रैक्टर चालक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ; (iv) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत ; (v) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ; (vi) यदि ट्रैक्टर चालक के पद पर पहले से कार्यरत नहीं है, तो पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए;"।

अमित झा,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।